न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/22/2016 तारीख रजु 05.02.2016

उनवान

1.राकेश पुत्र रत्तीराम जाति जाट बगैरह निवासी महूखास तह0 हिण्डौन जि0 करौली

———वादी 02

बनाम

2. दिलसुख पुत्र लटूरया वगै0 जाति जाटव निवासी नदी का नंगला तह0 हिण्डौन जिला करौली

———प्रतिवादी 11

उपस्थितिः—
वादी की ओर से :— कोई उपस्थित नही।
प्रतिवादी की ओर से :— कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 03.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा ग्राम महूखास तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 353,748,768,1074,1081,1190,1196,18,143,146, 506,507,585,613,786,1194, के दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 3.01.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई । बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 22/2016 राकेश बनाम रत्तीराम वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 3.01.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03.01.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested